

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019-विभाजन/पुर्नगठन: 59120-152 14 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त कांगडा के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला कांगडा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगडा के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला कांगडा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगडा को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी:

क्र.सं.	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड देहरा					
	1 कथोग (बाहनी)	1 डोल 2 भाटी 3 बदोली 4 द्रेकलाहड़ 5 घरलाहड़ 6 बाहनी 7 कलरु 8 जी	बदोली (बदोली)	1 डोल 2 भाटी 3 बदोली 4 द्रेकलाहड़	1 घरलाहड़ 2 बाहनी 3 कलरु 4 जी	

	2 सुराणी (सुराणी)	1 छोट 2 रिजर्व जंगल गंधवाड 3 सुराणी 4 गंधवाड खास 5 थलाकन 6 टिप उपरला 7 टिप वूहला	टिप (टिप उपरला)	1 टिप उपरला 2 टिप वूहला	1 छोट 2 रिजर्व जंगल गंधवाड 3 सुराणी 4 गंधवाड खास 5 थलाकन	
2	विकास खण्ड लम्बागांव					
	1 सोल बनेहड़	1 जगनीजाड 2 अपर लम्बागांव 3 मनियाड़ 4 सोल बनेहड़ 5 हार 6 कलूही	मनियाड़	1 जगनीजाड 2 अपर लम्बागांव 3 मनियाड़	1 सोल बनेहड़ 2 हार 3 कलूही	
	2 हारसी	1 तरेफड़ 2 हारसी 3 काथला	काथला (काथला)	1 काथला 2 हारसी (आंशिक भाग) 1 दरेहड़ 2 डूहकी 3 नोला	1 तरेफड़ 2 हारसी (आंशिक भाग) 1 लाहड़ 2 हारसी-1 3 हारसी-2	
3	विकास खण्ड भवारना:					
	1 डाढ़ झिकला	1 अपर डाढ़ 2 कलहोरकड़ 3 टम्बर 4 डाढ़ झिकला 5 खटैहड़	अपर डाढ़ (अपर डाढ़)	1 अपर डाढ़ 2 कलहोरकड़	1 टम्बर 2 डाढ़ झिकला 3 खटैहड़	
4	विकास खण्ड इन्दौरा:					
	1 सिरत	1 सिरत 2 डमटाल 3 रिजर्व जंगल डमटाल	डमटाल	1 डमटाल 2 रिजर्व जंगल डमटाल	1 सिरत	
	2 पराल	1 पराल 2 बरोटा	बरोटा	1 बरोटा	1 पराल	
5	विकास खण्ड धर्मशाला:					
	1 पंतेहड़ पासू (देहरु)	1 भुटेहड़ 2 शीला 3 पंतेहड़ 4 देहरु 5 पतनी	शीला भुटेहड़ (भुटेहड़)	1 भुटेहड़ 2 शीला	1 पंतेहड़ 2 देहरु 3 पतनी	
6	विकास खण्ड रैत:					
	1 घरोह (घरोह खास)	1 गढ़ 2 चकवन घरोह 3 घरोह खास 4 वगरेहड़	मैटी	1 मैटी 2 वगरेहड़ 3 घरथैना 4 अम्बोटा	1 गढ़ 2 चकवन घरोह 3 घरोह खास	

		5 मैटी 6 घरथैना 7 अम्बोटा				
	2 कुठारना	1 कुठारना 2 नौहली 3 मावा 4 सेर 5 पलौथा 6 सेल	पलौथा	1 सेर 2 पलौथा 3 सेल	1 कुठारना 2 नौहली 3 मावा	
	3 करेरी (नौरा)	1 करेरी खास 2 नौरा 3 खड़ीबेही 4 रावा 5 बलरैह 6 जमली	रावा	1 रावा 2 बलरैह 3 खड़ीबेही	1 करेरी खास 2 नौरा 3 जमली	
7	विकास खण्ड नगरौटा सूरियां:					
	1 मतलाहड़	1 मतलाहड़ (18) 2 जैसर (13) 3 भलूं (19)	1 भलूं	भलूं	1 मतलाहड़ 2 जैसर	
	2 नाणा (बंडेरु)	1 धेवा (76) 2 नाणा पारला(75) 3 चुखियाल(77) 4 नाण खास(74) 5 नरहन(79) 6 बंडेरु(78) 7 झराड़(80)	धेवा	1 धेवा	1 नाणा पारला 2 चुखियाल 3 नाण खास 4 नरहन 5 बंडेरु 6 झराड़	
	3 अमलेला	1 अमलेला खास 2 बन अमलेला 3 जरपाल	जरपाल	1 बन अमलेला 2 जरपाल	1 अमलेला	
8	विकास खण्ड फतेहपुर:					
	1 खरोटा	1 खरोटा (9) 2 खराड़ (10) 3 बट्ट (11) 4 जनाला (12)	बट्ट मुख्यावास (खराड़)	1 खराड़ 2 बट्ट 3 जनाला	1 खरोटा	
9	विकास खण्ड बैजनाथ:					
	1 अवैरी	1 अवैरी 2 कुकेना	कुकेना	1 कुकेना	1 अवैरी	
10	विकास खण्ड प्रागपुर:					
	1 बठरा	1 बठरा 2 धमेड़ी 3 गरडियाल 4 पधां	अप्पर भलवाल	1 अप्पर भलवाल	1 बठरा 2 धमेड़ी 3 गरडियाल 4 पधां	

		5 अप्पर भलवाल				
11	विकास खण्ड पंचरुखी:					
	1 रजोट (हार)	1 अपर रजोट 2 चलूही 3 हार 4 वूहला रजोट 5 हरडी 6 नौण	अपर रजोट	1 अपर रजोट 2 चलूही	1 हार 2 वूहला रजोट 3 हरडी 4 नौण	
12	विकास खण्ड नूरपुर					
	1 लगोड़ (गेही)	1 गेही 2 लगोड़ 3 दुर्ग 4 वागणी	वागणी	1 दुर्ग 2 वागणी	1 गेही 1 गेही 2 लगोड़ 2 लगोड़ 3 दुर्ग 4 वागणी	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त: 59120-152

दिनांक

14.09.2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. उपायुक्त कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई-मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएंगे।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कांगडा, हि०प्र० को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएंगे तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार करें।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।